बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिम चम्पारण जिले के राजस्व मामलों से सम्बन्धित दिनांक–18.06.2015 को बेतिया में आहुत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–पंजी अनुसार।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक–18.06.2015 को पश्चिम चम्पारण समाहरणालय अवस्थित विकास भवन के सभाकक्ष में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में राजस्व मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है :–

1. **ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी** :– बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी, अभियान बसेरा एवं शहरी वास भूमि नीति से सम्बन्धित परिपत्रों की प्रति सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया। मई, 2015 में हुए स्थानान्तरण के फलस्वरूप दोनों जिलों में अधिकांश नये अंचलाधिकारी पदस्थापित हुए है। प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि नये पदाधिकारियों का पदस्थापन होने के कारण यह बैठक आवश्यक है ताकि सरकार के महत्वपूर्ण अभियानों/योजनाओं से सम्बन्धित संकल्पों/परिपत्रों की कुल जानकारी सभी नवपदस्थापित पदाधिकारियों को दी जा सके। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अन्तर्गत बेदखल पर्चाधारियों को उन्हें आवंटित भूमि पर 31 मार्च, 2015 तक कब्जा दिलाने का लक्ष्य था। परन्तु, कई कारणों से यह कार्य पूरा नहीं हो सका। विभागीय पत्रांक–122/C, दिनांक–01.04.2015 के द्वारा पूर्व निर्धारित समय सीमा को 30 जून, 2015 तक विस्तारित किया गया है। मार्च–अप्रैल, 2015 में ओलावृष्टि, चक्रवाती तुफान तथा भुकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राहत वितरण आदि में संलग्न रहने के कारण दखल–देहानी का कार्य बाधित हुआ इसलिए ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी को सितम्बर, 2015 तक विस्तारित किया गया है, ताकि शत–प्रतिशत बेदखल पर्चाधारियों को दखल–कब्जा दिलाया जा सके। इसके पश्चात ऑपरेशन भूमि दखल देहानी से सम्बन्धि परिपत्र संख्या–590, दिनांक–08.09.2014 के प्रावधानों, प्रपत्र–1,2,3 तथा दखल–देहानी के लिए की जानेवाली कार्रवाईयों की विस्तृत जानकारी सभी अंचलाधिकारियें को दी गयी।

विशेष सचिव महोदय द्वारा जिलावार एवं प्रपत्रवार समीक्षा प्रारम्भ की गयी। पूर्वी चम्पारण जिले में लाभान्वितों की कुल संख्या–182664 है जिसके विरूद्ध 75024 लाभान्वितों की सूची वेबसाईट पर अपलोड की गयी है। इसी प्रकार पश्चिम चम्पारण जिलें में लाभान्वितों की

कुल संख्या–237058 है जिसके विरूद्ध 165710 लाभान्वितों की सूची वेबसाईट पर अपलोड की गयी है।

प्रधान सचिव महोदय ने शेष बचे लाभान्वितों की जानकारी कैसे प्राप्त की जाये इस सम्बन्ध में जिलों से उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहा। अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ने बताया कि उनके जिले में नक्शा में गैरमजरूआ मालिक/आम को चिन्हित कर उसका स्थल सत्यापन किया जायेगा। जिससे तीन फायदे होंगे :–

(i) गैरमजरूआ मालिक/आम का सर्वेक्षण हो जायेगा।

(ii) अन्य विभागो को स्थानान्तरित भूमि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

(iii) पर्चाधारियों को चिन्हित किया जा सकता है।

प्रधान सचिव महोदय ने इस रणनीति की सराहना करते हुए कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण ने सभी अंचलाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि अंचल एवं हल्का कार्यालय में लाल कपड़े में बाँधे गये सभी बंडलों को खोलकर देख लिया जाय यदि उससे सूचनाएँ प्राप्त होती है तो वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने के बाद पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) की तरह नक्शा के अनुसार भौतिक सत्यापन कर पर्चाधारियों को चिन्हित करने का काम किया जाय।

विशेष सचिव महोदय ने पृच्छा की कि क्या इसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है। इसपर अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) ने बताया गया है कि 21 एवं 22 जून, 2015 को सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार की गयी है। बंजरिया, पीपराकोठी, बनकटवा, हरसिद्धि, फेनहारा, चिरैया, पकड़ीदयाल, पहाड़पुर एंव अरेराज में प्रपत्र–1 कम अपलोड हो पाया है। यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प0 चम्पारण जिले में बगहा अनुमंडल के ठकराहाँ एवं चनपटिया में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विशेष सचिव ने बताया कि चनपटिया में हल्कावार गैरमजरूआ मालिक/आम की पंजी तैयार कराया गया था। जिसे ढूढ़कर निकालने की आवश्यकता है। सदर अनुमंडल, बेतिया की स्थिति अच्छी नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को काफी काम करने की आवश्यकता है। बेतिया के सुखौना मठ की जमीन अवैध कब्जे में है। जिसका बन्दोबस्त शीघ्र सुयोग्य श्रेणी के मालिको से करने का निदेश दिया गया। बैठक में उपस्थित भूदान यज्ञ कमिटि के मंत्री ने बताया कि भूदान से अच्छादित रैयतों की प्रतिवेदित संख्या कम है। उन्होंने इससे अधिक संख्या

में सूची उपलब्ध करायी। जैसे चनपटिया में प्रपत्र–1 में भूदान रैयतों की सूची शून्य है जबकि उन्होंने बताया कि 719 रैयतों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। इसी प्रकार नरकटियागंज में प्रतिवेदित रैयतों की संख्या–154 है। जबकि भूदान मंत्री ने बताया कि 774 रैयतों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। विशेष सचिव महोदय ने बताया कि भूदान यज्ञ कमिटि से मिलान कर प्रपत्र–1 में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय। प्रपत्र–1 को अपलोड करने के मामले में जिला पदाधिकारी, चनपटिया, नरकटियागंज एवं सिकटा की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। सम्बन्धित अंचलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार बेदखली को चिन्हित करने एवं दखल दिलाने की स्थिति की समीक्षा अंचलवार की गयी। प्रधान सचिव ने कहा कि बेदखली को चिन्हित करने एवं दखल दिलाने की स्थिति में मामले में स्थिति अच्छी नहीं है। पूर्वी चम्पारण जिले के घोड़ासहन, अरेराज, संग्रामपुर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार प0 चम्पारण में चनपटिया, योगापट्टी, मंझौलिया, नौतन, गौनाहा, मैनाटाँड, नरकटियागंज एवं सिकटा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण (मोतिहारी) ने बताया कि मई माह में शिविरों के आयोजन के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी लेकिन स्थानान्तरण/पदस्थापन के कारण से कतिपय अंचलाधिकारी ने भाग नहीं लिया। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ने बताया कि उनके द्वारा पुनः जुलाई माह में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में अंचलाधिकारियों को अनिवार्य रूप में विशेष शिविरों में भाग लेने हेतु निदेशित किया।

2. अभियान बसेरा :– अभियान बसेरा अन्तर्गत जिलावार सुयोग्य श्रेणी के लाभान्वितों के सर्वेक्षण की समीक्षा की गयी। सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि यदि सर्वेक्षण कार्य के लिए राशि की आवश्यकता है तो अधियाचना भेजी जाय तथा तत्काल 15,000.00 प्रति पंचायत की दर से राशि दी जा सकती है। भूमि आवंटन के बिन्दु पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि वास्तविक दखल के आधार पर ही भूमि आवंटित की जा रही है। जबकि सरकार का निर्णय 5 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से उपलब्ध कराने का तथा जिलास्तर पर बैठक कर रणनीति तैयार कर ली जाय कि वास्तविक दखल–कब्जा भूमि के अतिरिक्त 5 डिसमिल की सीमा तक, इस प्रकार से लाभान्वितों को दिया जाय। इसके लिए यह भी आवश्यक होगा कि भूमि आवंटन के लिए प्राथमिकताएँ तय कर ली जाय। सर्वप्रथम वैसे परिवारों को जिन्हें बसने के लिए कोई भी भूमि उपलब्ध न हो को जमीनें आवंटित की जाय। द्वितीय चरण में परिवार बढ़ने की स्थिति में पृथक होनेवाले परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध करायी जाय। जिलास्तर पर रणनीति बनाने के पश्चात लाभान्वितों से विमर्श किया जाय तथा योजनाबद्ध विकास (Planned Devlopment) को ध्यान में रखते हुए भूमि

आवंटन किया जाय। अंचल अधिकारी, पिपराकोठी ने बताया कि उनके अंचल अन्तर्गत एकहाँ में गैरमजरूआ आम 300 कड़ी की सड़क है जबकि 100 कड़ी सड़क के लिए काफी होता है। निदेश दिया गया कि स्थल मुआयना कर विधिवत प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिया जाय। जिसमें 100 कड़ी सड़क के लिए छोड़ दिया जाय।

3. महादलित विकास योजना :– दोनों जिलों ने शत–प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद किया गया।

4. बहार राज्य शहरी क्षेत्र अनु0 जाति/जन जाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014:– इस नीति के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के परिवारों एवं उपलब्ध गैरमजरूआ आम/मालिक तथा कैसरे हिन्द की जमीन (जो सरकार के कब्जे में हो) सर्वप्रथम इनका सर्वेक्षण करना है। दोनों जिलों के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है। प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि चूँकि पूर्व में आवंटित राशि की निकासी नहीं हो सकी है। अतः पुनः आवंटन दिया जाय। सर्वेक्षण की तिथि बढ़ा दी जाय।

5. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट में लंबित वादों की स्थिति :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वार लंबित वादों की समीक्षा की गयी। लंबित मामलों को शीघ्र निपटान करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट के द्वारा पारित अनुदेशों का अनुपालन करना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का ही दायित्व है। प्रधान सचिव महोदय ने बताया कि अनुपालन के लिए लंबित रहने का कारण मामलें उच्च न्यायालय तक पहुँच रहे है। जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण ने सुझाव दिया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कोर्ट के आदेश स्पष्ट होने चाहिए। नापी आदि को आधार बनाकर अथवा स्पष्ट एवं अनुपालन योग्य (Implementable) आदेश होने चाहिए। अस्पष्ट आदेश होने के कारण अनुपालन में कठिनाई उत्पन्न होती है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारियों की बैठक बुलाकर लंबित मामलों की समीक्षा करें।

6. दाखिल–खारिज :– चूँकि इन दोनों जिलों में अधिकांश अंचल अधिकारियों का नया योगदान है। इसलिए दाखिल–खारिज के प्रक्रियाओं को जानकारी देनें के बारे में संयुक्त निदेशक, कृषि गणना को अनुदेशित किया गया। संयुक्त निदेशक, कृषि गणना द्वारा नये दाखिल खारिज के लिए विस्तृत जानकारी अंचल अधिकारियों को दी जिसमें Form-5 में Mutation Register तैयार करना Form-5 में सभी आवेदकों को प्राप्ति रसीद देना आदि शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि दाखिल–खारिज करने से पूर्व अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त Semblance of title, दखल कब्जा, न्यायालय में लंबित होने की स्थिति आदि को अवश्य देख लिया जाय। यदि मामला न्यायालय में लंबित हो तो दाखिल खारिज अस्वीकृत किया जाय। दाखिल–खारिज के

आदेश एकदम स्पष्ट होने चाहिए। प्रधान सचिव ने निदेश दिया कि दाखिल–खारिज के मामलों में आदेश का प्रारूप तैयार कर लिया जाय जिससे आदेशों में एकरूपता एवं स्पष्टता होगी।

7. भू–हदबंदी :– अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता, समाहर्त्ता स्तर पर लंबित वादों को लगातार तिथि निर्धारित कर वैसे मामलें जिनमें अधिक भूमि नीहित का निपटान किया जाय जिससे सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को भूमि आवंटित किया जा सके।

8. भू–दान :– भूदान के मामले में सम्पुष्टि एवं वितरण के मामलों की समीक्षा की गयी। भूदान यज्ञ समिति के दोनों जिले के मंत्री उपस्थित थे। जिलों के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं भूदान मंत्री के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में काफी अंतर पाया गया। प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि दोनों जिले के अपर समाहर्त्ता भूदान मंत्री के साथ बैठकर प्रतिवेदन का मिलान कर लें।

9. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना की स्थिति :– प्रधान सचिव महोदय द्वारा कम्प्यूटरीकरण के कार्यों में प्रगति लाने तथा शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

10. डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :– चनपटिया में आधुनिक अभिलेखागार के निर्माण कार्य पूरी होने की स्थिति में है। पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के 4 अंचलों में तेतरिया, फेनहारा, पिपराकोठी एवं संग्रामपुर में स्थल की समस्या है। पश्चिम चम्पारण के 18 अंचलों में से 2 अंचल में भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 1 अंचल नरकटियागंज में स्थल की समस्या बतायी गयी है।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29/6/15

(शशिभूषण तिवारी)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक– 779(7)/रा0 पटना–15, दिनांक– 29/6/2015

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
Fax/E-mail
प्रतिलिपि :– सभी अपर समाहर्त्ता, प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– सभी अंचल अधिकारी, प0 चम्पारण/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29/6/15
विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।